

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2023—माघ 26, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2023

क्र. एफ 1-5-5-01-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में आयुष विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) आयुष विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : आयुष विभाग (शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, चज्जैन एवं रीवा)

श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6: के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमाक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय	व्याख्याता संहिता सिद्धांत	15	15	01	00	00	01	00	01	
	व्याख्याता रचना शरीर	15	15	01	00	00	01	00	01	
	व्याख्याता किया शरीर	08	08	00	00	00	01	00	01	*
	व्याख्याता द्रव्यगुण	09	09	01	00	00	01	00	01	
	व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	08	08	00	00	01	00	00	01	*
	व्याख्याता रोगनिदान	08	08	00	00	01	00	00	01	*
	व्याख्याता स्वस्थवृत्त	08	08	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता प्रसूति एवं स्त्रीरोग	07	07	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता कौमरभृत्य	07	07	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता कायचिकित्सा	15	15	01	01	00	00	00	01	
	व्याख्याता शल्यतंत्र	07	07	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता शालाक्य तंत्र	07	07	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता पंचकर्म	08	08	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद	08	08	00	01	00	00	00	01	*
	योग	130	130	04	02	02	04	00	08	
	सभी पदों को एकजाई कर योग	130	130	08	02	02	04	00	08	

* हालांकि 6 प्रतिशत के अनुसार केवल व्याख्याता, संहिता सिद्धांत के स्वीकृत 15 पदों में 01 पद, व्याख्याता रचना शरीर के 15 पदों में 01 पद, व्याख्याता द्रव्यगुण के 09 पदों में 01 पद तथा व्याख्याता कायचिकित्सा के 15 पदों में 01 पद कुल 04 पद आरक्षित होने चाहिए, किंतु आयुर्वेद व्याख्याता के कुल पदों का योग 130 होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-5/2004/आ. प्र./एक दिनांक 31 मार्च 2005 की कण्डिका (छै:)(3)(iii) में दिये गये उदाहरण अनुसार कुल पद जिनको 6 प्रतिशत के अनुसार दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित किया जाना है, उसकी संख्या 08 होने के कारण 04 अन्य पदों को निम्नानुसार दिव्यांगजन हेतु आरक्षित किया गया है :- व्याख्याता क्रियाशरीर के 08 पदों में 01 पद, व्याख्याता रसायन शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के 08 पदों में 01 पद, व्याख्याता रोग निदान के 08 पदों में 01 पद तथा व्याख्याता अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद के 08 पदों में 01 इस तरह कुल 08 पद दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित किये जाते हैं।

विभाग : आयुष विभाग (यूनानी महाविद्यालय भोपाल)

श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम	सीध ी भर्ती के लिए स्वी कृत पद	योग	नि:शक्तजन ों के लिए 8: के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमाक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय	व्याख्याता तहफूजी व समाजी तिव	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता मुआलेजात	02	02	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता जराहियात	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता इलमुल अमराज व सरीरियात (माहितुल अमराज)	02	02	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता इलमुल अदविया	02	02	00	00	00	01	00	01	*
	व्याख्याता तशरीहुल वदन	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता मुनाफेजल आज	01	01	00	00	00	00	00	00	

व्याख्याता तिब्बे कानून व इलमुस समूह	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता अमराजे निसवां	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता इलमुल कवालत	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता अमराजे उज्ज अनफ हलक	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता अमराजे जिल्द व जोहराविया	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता इलाज विद तदवीर	01	01	00	00	00	00	00	00	00
व्याख्याता अरबी	01	01	00	00	00	00	00	00	00
योग	17	17	0	0	0	1	0	1	
सभी पदों को एकजाई कर योग	17	17	01	00	00	01	00	01	

* व्याख्याता यूनानी के विषयवार स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण किसी भी विषय के पदों में 6 प्रतिशत के मान से दिव्यांगजनों हेतु पद आरक्षित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, किंतु कुल विषयवार पदों का योग 17 होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-5/2004/आ. प्र./एक दिनांक 31 मार्च 2005 की कण्डिका (छै:)(3)(iii) में दिये गये उदाहरण अनुसार कुल विषयवार पद जिनको दिव्यांगजनों हेतु (6 प्रतिशत के अनुसार) आरक्षित किया जाना है, उसकी संख्या 01 आती है इसलिये 01 पद व्याख्याता इलमुल अदबिया हेतु चिन्हांकित किया जाता है।

विभाग : आयुष विभाग (होम्योपेथी महाविद्यालय भोपाल)

श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम	सीध ी भर्ती के लिए स्वी कृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6: के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमा र्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनन वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय	व्याख्याता एनॉटामी	02	02	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट	02	02	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता आर्गेनस ऑफ मेडिसिन	03	03	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता होम्योपेथी फार्मसी	02	02	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता होम्योपेथी मटेरिया मेडिका	03	03	00	00	00	01	00	01	*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	व्याख्याता पेथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सी कोलॉजी	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	03	03	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता सर्जरी	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनो-कोलॉजी	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता कम्युनिटी मेडिसिन	01	01	00	00	00	00	00	00	
	व्याख्याता रिपोर्टरी	02	02	00	00	00	00	00	00	
	योग	22	22	00	00	00	01	00	01	
	सभी पदों को एकजाई कर योग	22	22	01	00	00	01	00	01	

* व्याख्याता होम्योपैथी के विषयवार स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण किसी भी विषय के पदों में 6 प्रतिशत के मान से दिव्यांगजनों हेतु पद आरक्षित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, किंतु कुल विषयवार पदों का योग 22 होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-5/2004/आ. प्र./एक दिनांक 31 मार्च 2005 की कण्डिका (छै:)(3)(iii) में दिये गये उदाहरण अनुसार कुल विषयवार पद जिनको दिव्यांगजनों हेतु (6 प्रतिशत के अनुसार) आरक्षित किया जाना है, उसकी संख्या 01 आती है इसलिये 01 पद व्याख्याता होम्योपैथी मटेरिया मेडिका हेतु चिन्हांकित किया जाता है।

No. F 1/5/5/01/2023/26-1- In exercise of the powers conferred by Section 101 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No 49 of 2016), for identification of posts for the disabled persons, and under the provisions of Rule-17 of The Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Committee for identification of such posts, hereby, identifies the posts reserved for Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of AYUSH Department of Schedule 1

Schedule - 1

(1) AYUSH Department

Schedule - 2**Identification of Posts for the Disabled Persons**

Department- AYUSH Department (Government (Autonomous) Ayurvedic College, Bhopal, Burhanpur, Jabalpur, Gwalior, Indore, Ujjain & Rewa)

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 %)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	Lecturer Samhita Siddhant	15	15	01	00	00	01	00	01	
	Lecturer Rachnasharir	15	15	01	00	00	01	00	01	
	Lecturer Kriyasharir	08	08	00	00	00	01	00	01	*
	Lecturer Dravyaguna	09	09	01	00	00	01	00	01	
	Lecturer RasShastra and Bhaishjya Kalpana	08	08	00	00	01	00	00	01	*
	Lecturer RogNidan	08	08	00	00	01	00	00	01	*
	Lecturer Swasthyavritta	08	08	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Prasuti tantra avum stri rog	07	07	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Kaumaryabhritta	07	07	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer kayachikitsa	15	15	01	01	00	00	00	01	
	Lecturer Shalya tantra	07	07	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Shalakya Tantra	07	07	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Panchkarma	08	08	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Agad tantra	08	08	00	01	00	00	00	01	*
		Total	130	130	04	02	02	04	00	08
	Total of all the posts compiled together	130	130	08	02	02	04	00	08	

* However, according to 6 percent only lecturer, 01 post out of 15 sanctioned posts of Samhita Siddhant, 01 post out of 15 posts of lecturer Rachnasharir, 01 post out of 09 posts of lecturer Dravyagun and 01 post out of 15 posts of lecturer Kayachikitsa, a total of 04 posts are to be reserved. But in case the total number of posts of Ayurveda lecturer is 130, circular no. F 8-5/2004/A of the General Administration Department. Q./One dated March 31, 2005, according to the example given in clause (six): (3) (iii) of the total number of posts which are to be reserved for persons with disabilities according to 6 percent, Due to its number being 08, 04 other posts have been reserved for Divyangjan as follows:- 01 post in 08 posts of Lecturer Kriyasharir, 01 post in 08 posts of Lecturer RasShastra and Bhaishjya Kalpana, 01 post in 08 posts of Lecturer RogNidan And 01 in 08 posts of Lecturer Agadtantra, in this way total 08 posts are marked for Divyangjans.

Department- AYUSH Department (Unani College, Bhopal)

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6%)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	Lecturer Tahaffuji and Samaji Tib	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Mualejat	02	02	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Jarahiyat	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Ilmul Amraj and Saririyat	02	02	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Ilmul Adabiya	02	02	00	00	00	01	00	01	*
	Lecturer Tashrihul Badan	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Munajfeul Aaja	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Tibbe Kanoon and Ilmusassum	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Amraje Niswan	01	01	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Ilmul Kawalat	01	01	00	00	00	00	00	00	

Lecturer Amraje Ujna Anaf va Halak	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Amraje Jild and Johraviya	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Ilaj bit tadbir	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Arbi	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Total	17	17	0	0	0	1	0	1		
Total of all the posts compiled together	17	17	01	00	00	01	00	01		

* Due to the less number of sanctioned posts of Lecturer Unani subject wise, there is no situation of reserving posts for Divyangjan at the rate of 6 percent in any subject posts, but in case of total subject wise posts being 17 Circular No. F 8-5/2004/A. Q/One dated March 31, 2005, according to the example given in clause (six): (3) (iii) of the total number of subject-wise posts that are to be reserved for the disabled (according to 6 percent), comes to 01, therefore 01 post lecturer Ilmu Adabiya is marked for Divyangjans.

Department- AYUSH Department (Homeopathy College, Bhopal)

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6%)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	Lecturer Anatomy	02	02	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Physiology and Biochemist	02	02	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Organon of Medicine	03	03	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Homeopathy Pharmacy	02	02	00	00	00	00	00	00	
	Lecturer Homeopathy Materia Medica	03	03	00	00	00	01	00	01	*

Lecturer Pathology and Microbiology	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Forensic Medicine and Toxicology	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Practice of Medicine	03	03	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Surgery	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Obstetrics and Gynecology	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Community Medicine	01	01	00	00	00	00	00	00	00	
Lecturer Repertory	02	02	00	00	00	00	00	00	00	
Total	22	22	00	00	00	01	00	01		
Total of all the posts compiled together	22	22	01	00	00	01	00	01		

* Due to less number of sanctioned posts of Lecturer Homeopathy subject wise, there is no situation of reserving posts for Divyangjan by the value of 6 percent in any subject posts, but in case of total subject wise posts being 22 Circular No. F 8-5/2004/A. Q./One dated March 31, 2005, according to the example given in clause (six): (3) (iii) of the total number of subject-wise posts that are to be reserved for the disabled (according to 6 percent), comes to 01, therefore 01 post lecturer Homeopathy Materia Medica is marked for Divyangjans.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.